

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प खजूरी

मि०न० : 550/2014

- 1- शिवराम पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड
- 2- ओमप्रकाश पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड
- 3- चेताराम पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड
- 4- फूलाबाई पत्नि बजरंगलाल जाति धाकड निवासीगण पीसाहेडा तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तह० दीगोद ।

— वादीगण

- 1- तुलसाबाई पुत्री श्री किशन पत्नि पन्नालाल जाति धाकड
- 2- नन्द किशोर पुत्र पन्नालाल जाति धाकड
- 3- राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार कनवास।

— प्रतिवादीगण

दावा धोषण अर्न्तगत धारा 88,89 आरटीएक्ट

वादी द्वारा एक वाद अ०धा 88,89, आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण न.1 ता 3 की दादी प्रतिवादी नं. 1 के एकल खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी में खाता सं. 114 की ख.न. 175 की 0.32 है. ख. न.251 की 0.44 है.ख.न. 252 की 0.18 है.ख.न.694 की 0.09 है.ख.न. 1209 की 0.14 है.ख.न. 1212 की 0.13 कित्ता 6 रकबा 1.30 है. तथा माल ग्राम आवा प०म०आवा की खाता न. 216 नई की ख.न. 432 की रकबा 0.80 है.ख.न. 434 की रकबा 0.73 है० ख.न. 456 की रकबा 0.36 है.कित्ता 3 की 1.89 है आराजी स्थित है।

उपरोक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 की पुश्तेनी आराजी है जो प्रतिवादी न.1 के एकल खाते में चली आ रही है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादी 2 का भी जन्मशः अधिकार है। प्रतिवादीनी न.1 के दो पुत्र थे जिनमे से बडा पुत्र प्रतिवादी 2



उपखण्ड अधिकारी  
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
कनवास (खिलाकोट संज्ञा)

नन्दकिशोर है तथा दूसरा पुत्र बजरंगलाल था जिसका देहान्त हो चुका है वादीगण बजरंगलाल जी के विधिक उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी न.1 के खाते की उपरोक्त वर्णित आराजी में पारिवारिक विभाजन के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी 1 व 2 आपसी सहमति से 1/3,1/3 हिस्से पर काश्त कर रहे है। अतः उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण को 1/3 हिस्से का हकदार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित कोर्ट केम्प गाम खजूरी में पेश हुआ। प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादी 1 व 2 के मध्य हिस्सा 1/3, 1/3 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वाद में प्रस्तुत रेकार्ड / दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का इकबालिया जवाब का अवलोकन किया। दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी में खाता सं. 114 की ख.न. 175 की 0.32 है. ख.न.251 की 0.44 है.ख.न. 252 की 0.18 है.ख.न.694 की 0.09 है.ख.न. 1209 की 0.14 है.ख.न.1212 की 0.13 कित्ता 6 रकबा 1.30 है. तथा माल ग्राम आवा प0म0आवां की खाता न. 216 नई की ख.न. 432 की रकबा 0.80 है.ख.न. 434 की रकबा 0.73 है0 ख.न. 456 की रकबा 0.36 है.कित्ता 3 की 1.89 है आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 2 का हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जाकर राजस्व रेकार्ड में अगल दरामद किया जावे।



  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
कनवास जिलाकोट(राज०)  
कनवास

# अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाका दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम

कनवास

1. शिवराम पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड।
2. ओम प्रकाश पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड।
3. चेताराम पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड।
4. फूलाबाई पत्नि बजरंगलाल जाति धाकड समस्त निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. तुलसाबाई पुत्रि श्री किशना जाति पन्नालाल जाति धाकड।
2. नंदकिशोर पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासीयान ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादी

दावा बाबत अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. 550/14 सन 2014 तारीख फैसला 17.05.2016 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वारते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास व हाजरी वादी 1 लगायत 4 स्वयं मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 03 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है व अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम पीसाहेडा पटवार हत्का खजूरी में खाता संख्या 114 की खसरा नंबर 175 की रकबा 0.32 हे० खसरा नंबर 251 की 0.44 है०, खसरा नंबर 252 की 0.18 है० खसरा नंबर 694 की 0.09 है०, खसरा नंबर 1209 की 0.14 है०, खसरा नंबर 1212 की 0.13 है०, कुल किता 06 की रकबा 1.30 है०, तथा माल ग्राम आंवा पटवार मण्डल आंवा की खाता संख्या 216 नई की खसरा नंबर 432 के रकबा 0.80 है०, खसरा नंबर 434 की रकबा 0.73 है०, खसरा नंबर 456 की रकबा 0.36 है०, किता 03की रकबा 1.89 है०, आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी 1 लगायत 02 का हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में आमल दरामद किया जावे । तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ... मुबलिंग ... X ... बाबत ... X ... खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/08/2016 माह अगस्त 2016 को जारी की गई।

मोहर



4  
(श्री कैलाश चंद गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
(R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (राज०)  
उपखण्ड कनवास  
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जादावा	----		स्टाम्प वकालतनामा	----	
स्टाम्प वकालतनामा	---		स्टाम्प अर्जा	----	
स्टाम्प वजह सबूत	----		महन्ताना वकील	----	
महन्ताना वकील	----		खर्चा गवाहान	----	
खर्चा गवाहान	----		फीस कमिश्नर	----	
फीस कमिश्नर	----		बाबत इजराय हुकमनामा	----	
बाबत इजराय हुकमनामा	----		मुतफरिफ	----	
मुतफरिफ	----		मीजान	----	
मीजान	----				

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

4  
श्री कैलाश चंद गुर्जर  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं (R.A.S.) मजिस्ट्रेट  
कनवास जिला कोटा (राज०)